न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीशसिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 66 / 2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. खेताराम पुत्र शिवलाल जाति सुथार निवासी जोधेश्वर नगर, सड़ा तहसील सिणधरी		1. आज्ञादेवी पत्नि उदाराम 2. सुरेशकुमार पुत्र उमाराम 3. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थित–

1. श्री भंवरलाल सारण, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री पावूराम वेनीवाल ,वकील विप्रार्थी संख्या 1, व 2 की ओर से।
3. विप्रार्थी सं. 3 के पैरोकार उप.।

आदेश

दिनांक– 10.03.2025

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है। कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 20 रकबा 3.6971 हैक्टयर ग्राम जोधेश्वर नगर तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी की रहवास ढाणी, टांका व मवेशियो के बाड़े इत्यादि बने हुए है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी सं. 1 से 2 की खसरा संख्या 152/20 रकबा 0.0809 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी सं.1 से 02 की उक्त खसरो में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 02 बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्ध कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने मे समस्या आती है। विप्रार्थी संख्या 01 से 02 कदीमी रास्ते से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:15:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

चलनें से रोक टोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम जोधेश्वर नगर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 152/20 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकार्ड मे सरकारी खाते मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 01, 02 की ओर से अधिवक्ता श्री पाबुरात बेनीवाल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, परन्तु अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए प्राप्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने से पुनः मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस की थी,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 20 रकबा 3.6971 ग्राम जोधेश्वर नगर तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स.1 से 02 की खसरा संख्या 152/20 भूमि आई हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 02 की उक्त खसरो में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थीगण बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्ध कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने मे समस्या हो जाती है। और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थी संख्या 01 से 02 कदीमी रास्ते से चलनें से रोकटोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है,तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी की पुनः प्राप्त मौका रिर्पोट दिनांक 19.11. 2024 के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी स.1 से 2 तथा विप्रार्थी खसरा सं. 151/20 के खातेदारान को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:15:52 IST
Reason: SelfAttested

4.इसके विपरीत वकील विप्रार्थीगण की बहस थी कि मौका स्थिति के सन्दर्भ में दौ बार रिपोर्ट तलब की गई है। मौका स्थिति की अंतिम रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 के सन्दर्भ में मौके पर पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति एवं समझौते के मुताबिक प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

को आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा 161/20 व 162/20 के कुल लम्बाई 280 मीटर व चौड़ाई 06 मीटर भूमि का आधा–आधा भाग प्रस्तावित किया गया है। चूंकि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से जमीन के बदले कोई प्रतिफल लिये बिना जमीन के बदले जमीन ली जानी निर्धारित की गई है। अतः ऐसी स्थिति में रास्ते हेतु प्रस्तावित सकल भूमि का आधा भाग प्रार्थी अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 20 रकबा 3.6971 में से खसरा संख्या 162/20 के खातेदार को उसकी रहवासी ढाणी के समीपह एवं इसी प्रकार खसरा संख्या 161/20 के खातेदार को भी उसके निवासरत ढाणी के समीप ही खसरा संख्या 20 में से रोढ़ा–रोढ़ देने के बाद ही विप्रार्थीगण का प्रस्तावित रकबा कम किया जावे।

5.हमनें दोनो पक्षो के अभिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी खेत मौजा जोधेश्वर नगर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 20 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच खेत खसरा संख्या 162/20 व 161/20 के बीचों–बीच आधे–आधे समान अनुपातिक रूप से लम्बाई 280 मीटर व चौड़ाई 06 मीटर का रास्ता आवागमन हेतु तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 के जरिये प्रस्तावित किया है। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा जोधेश्वर नगर की खसरा संख्या 20 में पहुचनें के लिए खसरा संख्या 151/20 व 152/20 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेत में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। विप्रार्थीगण को अपनी ओर से जवाब के तथ्यों में रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबे का जमीन के बदले जमीन दिये जाने की इस्तदुआ प्रस्तुत की गई है। प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें स्पष्ट अंकन किया है,कि प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई निकटतम दूरी में विकल्प नहीं है,और प्रस्तावित रास्ते पर वर्तमान में किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं है। (परन्तु यदि वर्तमान में मौका रिपोर्ट के पश्चात् प्रस्तावित स्थल को बाधित करने हेतु ऐसा कोई निर्माण अथवा कृ[illegible] वली की जा सकती है) इस प्रकार प्रार्थीगण प्रस्तावित [illegible] है। क्योंकि 251 ए आर.टी.एक्ट की मंशा है,कि किसी [illegible] से होकर सरकारी कटाण मार्ग तक पहुचनें के लिए यदि रास्ता [illegible] रास्ता दिया जाना चाहिए। जो हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के लिए प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। और प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए अंतिम विकल्प है। इस प्रकार रास्ते हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:15:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

ग्राम जोधेश्वर नगर के खेत खसरा संख्या 152/20 रकबा 0.0809 हैक्टयर व खसरा संख्या 151/20 रकबा 3.4706 हैक्टयर भूमि में सकल लम्बाई 280 मीटर लम्बाई तथा चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.1680 हैक्टयर (प्रत्येक खसरा नम्बरान का आधा– आधा) यानि 0.0840–0.0840 हैक्टयर भूमि का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि–295588/–प्रति बीधा है। नियमानुसार रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है। परन्तु विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त नही कर जमीन के बदले जमीन दिये जाने की मांग के अनुसार प्रार्थी खसरा संख्या 151/20 व 152/20 के खातेदारान को उसके खेत खसरा संख्या 20 में से कुल रकबा 0.1680 बीघा भूमि बतौर क्षतिपूर्ति दिया जाना प्रस्तावित है।

6.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन एवं विप्रार्थीगण का जवाब स्वीकार किया जाकर ग्राम जोधेश्वर नगर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 20 के खातेदारान (प्रार्थी) के सकल रकबे में से रकबा 0.0840 हैक्टयर भूमि विप्रार्थी आज्ञादेवी व अन्य को तथा इसी माफिक रकबा 0.0840 हैक्टयर भूमि गंगादेवी व अन्य के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के बाद खसरा संख्या 151/20 व 152/20 में कुल लम्बाई 280 मीटर लम्बाई तथा चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.1680 हैक्टयर भूमि मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग पीला ——दरसाये परिक्षेत्र अनुसार रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विप्रार्थीगण को पुर्नभरण योग्य रकबे उनके अपने–अपने खातेदारी खेत (151/20 व 152/20) की सीमा से लगते हुए भू–भाग को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जावे। तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांकःभू.अ./वाद/2024/3019 दिनांक 19.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:15:52 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 16.03.2025 को लिखा कर जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी